Review Of Research
Vol. 3, Issue. 3, Dec. 2013
Impact Factor 2.1002(UIF)
ISSN:-2249-894X
Available online at www. lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

व्यक्तित्व संरचना एवं किशोरवय

डॉ. सुनीता कुमारी
अतिथि शिक्षक, वीमेन्स कॉलेज, समस्तीपुर, बिहार.

सारांश :

जब हम बीज को अंकुरित होते देखते हैं तो सबसे पहले एक छोटा–सा अंकुर दिखाई देती है, थोड़े ही दिनों के बाद कुछ और जड़े निकलने लगती है, फिर फल विकसित होते है। जिस प्रकार एक पौधा धीरे–धीरे बड़ा होकर अपनी वृद्धि करता है, ठीक उसी प्रकार बालक का विकास होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्यतः तीन माह में बालक करवट लेता है, छः माह में बैठता है, एवं 9 माह में चलने लगता है यह बालक की सामान्य प्रक्रिया है। आयु बढने के साथ–साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है यह क्रम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था तक लगातार चलता रहता है। सभी अवस्थाओं की अपनी– अपनी विशेषताएँ होती है।

प्रस्तावना :

हम प्रायः अपने मित्रों व रिश्तेदारों से सुनते है कि फलां व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार नहीं हो रही है, उसकी लंम्बाई या शारीरिक हृष्ट–पुष्टता उसकी आयु के औसत बच्चों से कम है, या कोई बालक अपनी आयु से भी अधिक आयु की बात समझ लेता है, या कुछ अपने साथी छात्रों से भी नहीं घुल–मिल पाता है, ये सभी बातें वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। वृद्धि एवं विकास माता के गर्भ से शुरू होकर जीवन पर्यन्त चलता रहता है, जन्म के बाद शैशवास्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक लगातार चलता रहता है।

किशोरवय बालक या बालिकाओं की अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में किशोरावस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल मानी जाती है इस अवस्था में बालक न तो बच्चा और न ही पौढ़ होता है, जीवन की इस अवस्था को तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है।

किशोरावस्था मनुष्य के विकास की तीसरी अवस्था है यह बाल्यावस्था के बाद शुरू होकर प्रौढ़ावस्था शुरू होने तक चलती रहती है, परन्तु जलवायु एवं व्यक्तिगत भेदों के कारण किशोरावस्था की अवधि में कुछ अंतर आता है। यह वह अवस्था है, जिसका छात्रों पर तात्कालीन प्रभाव व दीर्घकालीक प्रभाव दोनों ही देखने को मिलता है इस अवधि में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोनों ही सबसे अधिक दिखाई देते है। इस दशा में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, सही मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन से किशोरों को सही दिशा में जाने का मौका मिलता है।

किशोरावस्था का समय संसार के सभी देशों में एक जैसा नहीं माना गया है श्री हैरीमैन ने लिखा है– युरोपीय देशों में किशोरावस्था का समय लड़कियों में लगभग 13 वर्ष से 21 वर्ष तक एवं लडको में 15 वर्ष से 21 वर्ष तक माना जाता है जबकि भारत में लड़कियों की 11 वर्ष से 17 वर्ष एवं लड़को की 13 वर्ष से 19 वर्ष तक मानी जाती है।

भारतीय संस्कृति एवं किशोरावस्था –

पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत भारतीय संस्कृति में 18 वर्ष के बाद लड़कियों के विवाह निर्धारण एवं 21 वर्ष लड़कों की उम्र निर्धारित है विवाह पूर्व संबंध स्थापित करना अपराध की श्रेणी में माना जाता है भारतीय संस्कृति अपने आप में विश्व की अनूंठी संस्कृति है, भारतीय

संस्कृति के ही कारण भारत को विश्व गुरू की उपमा दी गई है। भारत में माँ बालक की प्रथम पाठशाला होती है, जन्म से लेकर 4–5 वर्ष तक माँ के सानिध्य में ही संस्कारों की शिक्षा प्राप्त करना है तत्पश्चात स्कूलों में नैतिक शिक्षा, धर्म एवं संस्कारों से बालक को अवगत कराया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किशोरावस्था तक माता–पिता एवं शिक्षक बालक को विभिन्न प्रकार के संस्कार एवं भारतीय परंपराएँ सिखातें है। किशोरावस्था में बालिका का माँ बनना अपराध माना जाता है, एवं यह बलात्कार की श्रेणी में माना जाता है, एवं अपराधी किशोर बालक भी सजा पाता है।

विपरीत प्रभाव एवं दूर करने के उपाय :

पाश्चात्य या यूरोपीयन संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति की तुलना करने पर हम पाते है कि किशोरावस्था में अनेक मनोविज्ञानों ने शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, विकास एवं वृद्धि पर बल दिया है यह समय कोमल शाखाओं के उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकता का होता है किशोर बालक नई टहनी की तरह होते है, उसे जिस दिशा में चाहे मोड़ सकते है। किशोरावस्था में उठे आवेगों का उपयोग सही दिशा में करने पर बाल–अपराध, चोरी एवं बलात्कार की घटनाओं से मुक्ति मिल सकती है, एवं किशोर एक जिम्मेदार एवं स्वस्थ नागरिक बन पाने में समर्थ होगा।

पाश्चात्य देशों में यही कारण है, बालअपराध या हत्या के मामले, 30 प्रतिशत मामले किशोरों द्वारा किए जाते है उचित शिक्षा व्यवस्था, यौनशिक्षा एवं घर परिवार का वातावरण इन अपराधों को रोकने में सहायक होगें।

ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याभ्रूण हत्या एवं बालविवाह आज भी होते है, आँकड़ों के अनुसार पिछले कुछ सालो में इनमें काफी कमी आई है। आवश्यकता जागरूकता एवं सोच बदलने की है, विद्यालयों में भी असमानता के विरूद्ध जागरूकता लाने की है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा उचित मार्गदर्शन देकर अपराधों में कमी कर सकते हैं। परिवार, शिक्षक एवं पीयर ग्रुप इस ओर विशेष ध्यान देकर स्वस्थ माहौल निर्मित कर बदलावों के प्रति स्वस्थ रवैया विकसित कर सकते है।

आमतौर पर किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष तक के बीच के समय को माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं जलवायु, सांस्कृतिक परंपराएँ एवं परिवेश तथा काम संबंधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण यौवनारंभ से लेकर प्रजनन परिपक्वता प्राप्ति, वयस्क पहचान बन जाने एवं सामाजिक आर्थिक निर्भरता को परिभाषित किया है।

परिवर्तनों के अचानक होने एवं तीव्र विकास के कारण किशोरों में अक्सर उत्सुकता, परेशानी एवं बेचैनी उत्पन्न हो जाती है और इसका सीधा संबंध यौन संबंधी विकास से है, जिसे हमेशा गुप्त व किसी से भी बाँटने की मनाही रहती है, अतः परिवार व स्कूल में सही जानकारी न मिलने से किशोर यौन रोग के शिकार हो जाते है।

आवश्यकता उन्हें उचित ज्ञान देने की है जो प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के संदर्भ में किशोरों की वृद्धि प्रक्रिया को समझाने में सहायता करने की है और इस संक्रमण काल के दौरान उनके सामने आने वाली समस्याओं में उचित मार्गदर्शन का होना आवश्यक है, साथ ही साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता भी है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी से स्वयं लक्ष्य की खोज कर सही निर्णय ले सके।

बौद्धिक विकास एवं शिक्षा –

किशोरावस्था ऐसा समय है, जब ज्ञान को अर्जित कर उसका उपयोग सही दिशा में करना चरम सीमा पर होता है, इस अवस्था में उनमें उत्सुकता रहती है, कि दूसरे उनके बारे में क्या महसूस करते है, शारीरिक परिवर्तन के साथ–साथ बौद्धिक परिवर्तन भी होते है, इस समय अध्यापक की भूमिका अधिक हो जाती है अध्यापक का कार्य है– विद्यार्थियों को अलग–अलग प्रकार से चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में शामिल करें। अध्यापक सिर्फ व्याख्यान या भाषण न देकर एवं पाठ्य पुस्तकों पर जोर न देकर किशोरवय बालक–बालिकाओं से बैठकर, चर्चा करके, विभिन्न मुद्दों पर बात–चीत कर उनकी जिज्ञासा एवं प्रश्नों को हल करें। कहा गया है कि ''खाली दिमाग शैतान का घर है'' किशोर बालकों के फुरसत के समय को उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हॉबी कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों की जा सकती है। इसी के साथ–साथ रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है इससे बेरोजगार युवकों की समस्या में भी कमी आएगी।

नैतिक विकास एवं शिक्षा –

भारत की शैक्षिक व्यवस्था में नैतिक शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा को सही तरीके से शामिल न करने के कारण युवाओं में अनुशासनहीनता, छलकपट, एवं सांप्रदायिकता की भावना घर कर जाती है। स्कूलों में अध्यापकों को चाहिए कि प्रातःकालीन सभा का आयोजन कर पर्व एवं उत्सव धूमधाम से मनाएँ। गंदी वस्ती, झुग्गी झोपडी में साप्रदायिकता एवं धर्म की भ्रांतियों के बारे में समझाएँ वहाँ के बेरोजगार

युवकों को कल्याणकारी योजनाओं एवं भलाई के कार्यो में लगाएँ उन्हें मार्गदर्शन दे। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करने का, जिससे समाज में व्याप्त हिंसा, बलात्कार एवं चोरी को रोकने में सहयोग मिल सकें।

सामाजिक विकास एवं शिक्षा –

किशोरों में सामाजिक वृद्धि अधिक हो, इसलिए उन्हें पर्याप्त अवसर स्कूलों में प्रदान किया जाना चाहिए। किशोरावस्था घनिष्ठमित्रता एवं परमशत्रुता निभाने का भी समय होता है, अपने सहपाठियों के बीच उचित दर्जा मिले ऐसा किशोर चाहता है। यदि उसे उचित स्थान नहीं मिलता, तो वह हताशा के घेरे में आ जाता है। स्कूलों एवं अध्यापकों को चाहिए कि वे उन्हे दयालु बनने का, हमदर्दी जताने सहिष्णुता, आत्मविश्वास एवं मृदुभाषी बने रहने का पाठ पढ़ाएँ एवं इन सभी को विकसित करने की शिक्षा प्रदान करें। सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिविरो, फिल्मों का प्रदर्शन, नाटकों का मंचन कर सामाजिक विकास को बढ़ावा दे। इन्ही गतिविधियों से किशोरो में चरित्रवान एवं व्यक्तित्व को सही मार्गदर्शन मिलेगा।

निष्कर्ष :

हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में यौन जिज्ञासा चरम अवस्था पर होती है किशोर–किशोरी के प्रति स्वभावतः आकर्षित होते है, एवं अपना जीवन–साथी पाने की इच्छा होती है शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, हार्मोनों के स्त्राव के कारण किशोर वर्ग में पर्याप्त जानकारी न होने से परेशानी में आ जाते है शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे नए शारीरिक परिवर्तनों का सही तालमेल अन्य विषयों के साथ–साथ हो, सामाजिक बुराईयों से बचने के लिए यौन शिक्षा को सही रूप में प्रस्तुत करना अध्यापकों एवं अभिभावकों का कर्तव्य होना चाहिए।

किशोर वर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है, इसे हम अलग नही कर सकते है, किशोरों को यौन संबंधी बाते बहुत सारे स्त्रोतों से मिल जाती है, हो सकता है गलत स्त्रोत, गलत जानकारियाँ देने से परिणाम अनर्थकारी होता है सही शिक्षा देने से स्त्री एवं पुरूष में समानता के आधार पर सहयोग एवं सम्मान एवं निर्भरता में वृद्धि होगी, ऐसी शिक्षा नियमित पाठ्यचर्चा का अंग होनी चाहिए जिसमें गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में यौन शिक्षा की विषय–वस्तुओं को शामिल किया जाय, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे एवं किशोरापराध रोकने में सहायता मिलेगी।

बाल्यावस्था से यौवनावस्था की ओर बढ़ने के दौरान शारीरिक, मानसिक, नैतिक परिवर्तन तेजी से होते है। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, जो सदियों से चली आ रही है, किशोरवय बालक–बालिकाएँ सामाजिक जागृति के माध्यम से समाप्त कर सकते है।

संदर्भ सूची :

1. यादव, सूर्यभान – ''भारतीय समाज : संरचना और परिवर्तन'' वंदना पब्लिकेशन्स दिल्ली (2012) पृ.सं. 102.
2 बॉटमोर, टी.बी. ''समाजशास्त्र'', सरस्वती कामप्लेक्स, दिल्ली (2004) पृ.सं. 32.
3 सिंगर मिल्टन – ''स्ट्रक्चर एण्ड चेन्ज इन इण्डिया सोसायटी'' चिकागों एल्डाइन पब्लिकेशन (196) पृ.सं. 92.
4 टायलर, एटवर्ड–''भारतीय समाजःएक परिचय'' यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर (2008) पृ.सं. 19.
5 डा. कर्वे इरावती – ''किनशिप आर्गोनाइजेशन इन इण्डिया'' पुने डिकॉन कॉलेज मोनोग्राफ (1953) पृ.सं. 64.
6. शाह, ए.एम. –''भारतीय सामाजिक व्यवस्था'' साहित्य केन्द्र प्रकाशन, दिल्ली (2009) पृ.सं. 61.
7. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाऐं – डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव
8. शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन – राजकुमारी शर्मा, डॉ वंदना सक्सेना एवं डॉ. ए. बरोलिया
9. शिक्षा मनोविज्ञान – किशोरावस्था का मनोविज्ञान – अरुणकुमार सिंह
10. शिक्षा मनोविज्ञान – डॉ. पी.डी. पाठक